राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रतना बनाम रोडू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	35/2011	
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/12/2025 को पेश हो।	
19/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दुदू के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दुदू द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2010 पारित करते हुए दावा वादी सिद्ध नही होना धारित करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1304 वाके ग्राम रहलाना तह. मौजमाबाद के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है, तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश दिनांक 14/01/2011 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर से यह पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्य सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन/विश्लेषण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है, ऐसेमें अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा जाहिर किये गये उज्र/आपत्तियां स्वीकार योग्य प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2010 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	